९१

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म.प्र.

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

191
12.6.15

Rs 20/-
निगरानी 2203-II-15

1. अंगद प्रसाद तनय स्व.श्री रामदेव कुशवाहा

2. रामाश्रय तनय स्व.श्री रामदेव कुशवाहा

आदित्य त्रिपाठी 12.6.15

दोनो निवासी ग्राम भरौहा, तह.रामपुर बाघेलान जिला सतना म.प्र.

--- निगरानीकर्तागण

बनाम

क्रमांक 5858 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक .... को प्राप्त
क्लर्क सर्किट कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. भोला प्रसाद तनय स्व.श्री रामदेव कुशवाहा, नि.भरौहा, तह.रामपुर बाघेलान जिला सतना म.प्र.

2. श्रीमती मैसुनिया पुत्री स्व.रामदेव कुशवाहा पत्नी शिवदास कुशवाहा, नि.बांदा बाग रीवा

3. श्रीमती दुर्गी दया उर्फ सावित्री पुत्री स्व.रामदेव कुशवाहा पत्नी सूर्यपाल कनौजिया, नि.बजान वाले नामदेवजी के सामने गायत्री नगर आधारताल जबलपुर म.प्र.

4. बैकुंठी पुत्री स्व.रामदेव कुशवाहा पत्नी कौशल प्रसाद कुशवाहा, नि. पुष्पराज नगर नृत्यराधा स्कूल के सामने पुष्पराज नगर रीवा म.प्र.

5. जयप्रकाश नारायण तनय स्व.बाबूलाल कुशवाहा
6. रामू तनय स्व.बाबूलाल कुशवाहा
7. रेखा पुत्री स्व.बाबूलाल कुशवाहा
8. सुलेखा पुत्री स्व.बाबूलाल कुशवाहा

नि.जानकी कुण्ड आरोग्यधाम गेट के पास चित्रकूट तह.मझगवां जिला सतना म.प्र.

----- गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध न्यायालय अपर आयुक्त महोदय रीवा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 2203–दो / 2015 निगरानी जिला सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
11-8-17	यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 266 / 08–09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20–4–15 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।	
	2/ निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।	
	3/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि नायव तहसीलदार वृत्त चोरहटा तहसील रामपुर वाघेलान के प्रकरण कमांक 11 अ–6 / 2006–07 में पारित आदेश दिनांक 22–5–08 के विरूद्व अपर कलेक्टर सतना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई थी, जो अपर कलेक्टर ने प्रकरण कमांक 47 / 08–09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 7–3–2009 से निरस्त की है। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा संभाग ने प्रकरण कमांक 209 / 08–09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20–4–15 से निगरानी निरस्त की है जिसके विरूद्व यह निगरानी है। अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 20–4–15 के परीक्षण पर स्थिति यह है कि विवादित भूमि से सम्बद्व रामदेव का नाम शासकीय अभिलेख में दर्ज होने के पूर्व उसकी मृत्यु हो गई । रामदेव की मृत्यु उपरांत आवेदक एंव अनावेदक के बीच विवाद यह है कि आवेदकगण स्वयं् को रामदेव का विधिक वारिस बता रहे है जबकि अनावेदक भी	

स्वयं को रामदेव का वारिस बता रहे हैं। अपर आयुक्त रीवा संभाग ने आदेश दिनांक 20–4–15 में निष्कर्ष निकाला है कि रामदेव के सजरा खानदान के अनुसार आवेदक एंव अनावेदक मृतक रामदेव के वारिस है जो साक्ष्य से सिद्व है जिसके कारण अपर कलेक्टर जिला सतना व्दारा प्रकरण कमांक 11/2008–09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 7–3–2009 को अपर आयुक्त ने हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 7–3–09 में निकाले गये निष्कर्ष एंव अपर आयुक्त रीवा संभाग व्दारा आदेश दिनांक 20–4–15 में निकाले गये निष्कर्ष समरूप हैं जिसके कारण विचाराधीन में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 266/08–09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20–4–15 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। फलस्वरूप निगरानी निरस्त की जाती है ।

सदस्य